अनुबंध-VI

(टिप्पणी के पैरा 3 का संदर्भ ग्रहण करें)

2015 का विधेयक संख्यांक .

[इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय

विधेयक, 2015

रक्षा विज्ञान और रक्षा प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रबंध और अन्य संबंधित क्षेत्रों में रक्षा अध्ययनों और अनुसंधान को प्रोन्नत करने के लिए तथा उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अध्यापन और संबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना का उपबंध करने के लिए और उससे संबद्ध तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें व-र्ा में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय रा-ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधि 2015 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

भारतीय रा-ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को रा-ट्रीय महत्व की संस्था घोनित करना ।

2. भारतीय रा-ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में ज्ञात संस्था का उद्देश्य, इसे एक रा-ट्रीय महत्व की संस्था बनाने का है, इसलिए यह घोनित किया जाता है भारतीय रा-ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय नामक संस्था रा-ट्रीय महत्व की संस्था होगी ।

परिभा-ाएं ।

3. (1) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "विद्या परि-ाद्" से धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या परि-ाद् अभिप्रेत है ;

(ख) "संबद्ध महाविद्यालय" से ऐसा महाविद्यालय अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय के विशे-ााधिकार दिए गए हैं ;

(ग) "नियत दिन" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख अभिप्रेत है ;

(घ) "बोर्ड" से धारा 15 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय का शासक बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ङ) "कुलाधिपति" से धारा 20 में यथानिर्दि-ट केंद्रीय रक्षा मंत्री अभिप्रेत है ;

(च) "घटक इकाई" से विश्वविद्यालय द्वारा पोनित शैक्षणिक संस्थान अभिप्रेत हैं ;

(छ) "संस्था" से ऐसी शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा पोनित महाविद्यालय नहीं है या जो विश्वविद्यालय के विशे-ाधिकार प्राप्त नहीं हैं ;

(ज) "प्रधान" से धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है ;

(झ) "प्रतिकुलाधिपति" से धारा 21 की उपधारा (1) में यथानिर्दि-ट रक्षा सेवा स्टाफ कमेटी का चेयरमैन चीफ्स अभिप्रेत है ;

(ञ) "कुल-सचिव" से धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुल-सचिव अभिप्रेत है ;

(ट) "विनियम" से धारा 29 के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के विनियम अभिप्रेत हैं ;

(ठ) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं ;

(ड) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय रा-ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ;

(ढ) "विश्वविद्यालय परि-द्" से धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन गठित विश्वविद्यालय परि-द् अभिप्रेत है ;

(ण) "उप प्रधान" से धारा 23 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का उप प्रधान अभिप्रेत है ; और

(त) विश्वविद्यालय के संबंध में "कुलाध्यक्ष" से भारत का रा-ट्रपति अभिप्रेत है ।

विश्वविद्यालय का निगमन ।

4. (1) ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, "भारतीय रा-ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार और अपनी सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उस नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय हरियाणा राज्य के गुडगांव जिले के बिनोला और बिलासपुर में होगा ।

(4) विश्वविद्यालय भारत के भीतर ऐसे अन्य स्थानों पर कैंपस और केन्द्रों की स्थापना कर सकेगा या चला सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(5) प्रथम कुलाधिपति, प्रथम प्रतिकुलाधिपति और विश्वविद्यालय परि-नद् के सदस्य, शासक बोर्ड तथा विद्या परि-नद्, और ऐसे सभी व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे सदस्य या अधिकारी बने, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता को धारण करते रहें, विश्वविद्यालय का गठन करेंगे ।

विश्वविद्यालय के घटक ।

5. (1) विश्वविद्यालय, अपने मुख्यालय पर अपनी घटक शैक्षणिक इकाइयों के रूप में निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना करेगा, अर्थात् :--

(क) रा-ट्रीय रक्षा अध्ययन महाविद्यालय, जिसमें युद्ध कला और नकल विभाग, रा-ट्रीय और अंतरा-ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग, उच्चतर रक्षा कमांड और स्टाफ विभाग और जोखिम बोध तथा भावी अपेक्षाओं पर आधारित विभिन्न केंद्रों सहित अनुसंधान विभाग होंगे ;

(ख) भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर रक्षा अध्ययन विभाग, उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी विभाग और भावी जोखिम विश्ले-णों पर आधारित विभिन्न केंद्रों सहित अनुसंधान विभाग होंगे ;

(ग) भारतीय रक्षा प्रबंध संस्थान, जिसमें औद्योगिक और सम्पदा प्रबंध विभाग, संयुक्त सैन्य तंत्र और अर्जन विभाग तथा अनुसंधान विभाग होंगे ; और

(घ) विभिन्न स्थानों पर स्थित दूरस्थ विद्या के प्रादेशिक केंद्रों सहित दूरस्थ और मुक्त विद्या रक्षा संस्थान ।

(2) नियत दिन से ही निम्नलिखित महाविद्यालय और अकादमी विश्वविद्यालय से संबद्ध या उसके विशे-षाधिकार प्राप्त या उसके द्वारा पोषित होंगे :--

(क) रा-ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नई दिल्ली ;

(ख) रा-ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला, पूना ;

(ग) रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय, वेलिंगटन ;

(घ) रक्षा प्रबंध महाविद्यालय, सिकन्दराबाद ।

(3) विश्वविद्यालय, कुलाधिपति के अनुमोदन से अपने मुख्यालय पर या भारत के किसी भाग में विश्वविद्यालय के घटक इकाई के रूप में या इसके विशे-नाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्थान के रूप में अन्य विभाग या केंद्रों की स्थापना कर सकेगा, जिसके अंतर्गत शिक्षा की ऐसी शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, शिक्षा देने या ज्ञान का प्रसार करने में लगे दूरस्थ और मुक्त विद्या संस्थान भी हैं ।

विश्वविद्यालय की अधिकारिता ।

6. विश्वविद्यालय की अधिकारिता संपूर्ण भारत पर होगी ।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।

7. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे,--

(i) रक्षा, सुरक्षा विवाद्यकों पर भारत में युद्धनीतिक विचार की शिक्षा को प्रोत्साहित करना और ऐसे विवाद्यकों पर रा-ट्रीय और वैश्विक, दोनों स्तरों पर विचार-विमर्श आरंभ करना ;

(ii) साकल्यवादी रूप से सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए साधन सम्पन्न रा-ट्रीय सुरक्षा नेताओं और प्रबंधकों को तैयार करने की दृ-टि से सुरक्षा अध्ययनों के सभी पहलुओं में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के कार्यक्रम करने के माध्यम से रा-ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रों से संबंधित सक्षमताओं में क्षमता निर्माण में अभिवृद्धि करना ;

(iii) रा-ट्रीय सुरक्षा प्रणाली के विभिन्न घटकों में, चाहे वे सशस्त्र बलों में हों, सिविलयन हों, नौकरशाही में हों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में हों, परा-सैनिक बलों में हों और आसूचना सेवाओं में हों, दृढ़ शक्ति सहित रा-ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों की अभिवृद्धि, योजना निर्माण और नि-पादन में हों, संयुक्तता की भावना की शिक्षा देने के साथ ही साथ उनमें रा-ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में एक-दूसरे के उद्देश्यों और बाध्यताओं की समझ में अभिवृद्धि करना और रा-ट्रीय सुरक्षा विवाद्यकों में अंतर्वलित विभिन्न अभिकरणों के बीच संबंध स्थापित करना ;

(iv) उच्च स्तरीय नेतृत्व, स्टाफ और नीति उत्तरदायित्वों के लिए भारत में से या मैत्रीपूर्ण विदेशों में से रा-ट्रीय सुरक्षा स्थापनों और शैक्षणिक समुदायों के कार्मिकों को तैयार करना ;

(v) आंतरिक और बाह्य, दोनों प्रकार की रा-ट्रीय सुरक्षा, जिसके अंतर्गत मिश्रित धमकियों के लिए अंतराभिकरण प्रतिक्रिया, लड़ाई के लिए रक्षा और सहयोग भी हैं, से संबंधित सभी पहुओं पर ज्ञात इनपुटों पर आधारित नीति अभिमुखी अनुसंधान में

अभिवृद्धि करना, ;

(vi) अध्ययनों, रक्षा प्रबंध और रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा का विकास और अभिवृद्धि करना और उसके द्वारा सशस्त्र बलों और पुलिस बलों सहित अन्य सरकारी अभिकरणों में अधिकारियों के कैरियर को प्रेरक शक्ति देना ;

(vii) सशस्त्र बलों के कार्मिकों को दूरस्थ और मुक्त विद्या पद्धति से उच्चतर शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करना ;

(viii) पारंपरिक, अर्ध पारंपरिक और गैर पारंपरिक धमकियों के भावी अवगमों पर आधारित सुरक्षा और युद्धनीतिक विवाद्यकों पर नीति बनाने और विचार-विमर्श करने में योगदान देने वाले विचारक मंडल के रूप में कार्य करना ;

(ix) समान उद्देश्य रखने वाले शिक्षा अनुसंधान और विचारक मंडल क्षेत्रों में अन्य रा-ट्रीय, प्रादेशिक और अंतररा-ट्रीय भूमिका निभाने वालों के साथ तंत्र स्थापित करना ;

(x) इसकी संबद्ध संस्थाओं में किए गए शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करना ;

(xi) सामुदायिक क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सामुदायिक अध्येतावृत्ति कार्यक्रमों के लिए उपबंध करना ;

(xii) अंतररा-ट्रीय अध्येता कार्यक्रम संस्थित करना ; और

(xiii) सिविल उद्योग के साथ पारस्परिक क्रिया का संवर्धन करना, उपलब्ध चालू और भावी प्रौद्योगिकियों को समझना, प्रौद्योगिकी संबंधी अनुसंधान करना और उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या में ग्रहण करना, कौशल विकास सहित स्वदेशी को सुकर बनाते हुए रक्षा औद्योगिक आधार की स्थापना के लिए उद्योग के साथ समझ को साझा करना ।

विश्वविद्यालय की शक्तियां ।

8. *(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियां का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :--*

(i) रा-ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में और भारत की रक्षा के प्रबंध में वर्तमान और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए साधन सम्पन्न उच्च कौशल प्राप्त वृत्तिकों का पूल सृजित करने के उद्देश्य सहित अध्ययन के ऐसे क्षेत्रों में, जो यह ठीक समझे, विद्या की

अभिवृद्धि और ज्ञान के प्रसार के लिए शिक्षा और अनुसंधान के कार्यक्रमों का उपबंध करना ;

(ii) ऐसी शक्तियों के अधीन रहते हुए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने परीक्षाओं के आधार पर या परीक्षण और मूल्यांकन के किसी अन्य आधार पर यथानिर्णीत प्रवीणता के विहित मानक प्राप्त कर लिए हैं, विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्रियां देना या सम्मानित डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां या अभिधान प्रदान करना तथा ऐसे प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्रियां, अन्य विद्या संबंधी उपाधियां या अभिधान, उचित और पर्याप्त कारण होने से वापस लेना ;

(iii) विश्वविद्यालय में प्रवेश से मानक अधिकथित करना ;

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए फीसें और अन्य प्रभार नियत करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना ;

(v) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वजीफा, पारितो-िक और पदक प्रदान करना ;

(vi) इसके शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यक्रमों का, ऐसी रीति में, जो अंतररा-ट्रीय मानक की हों, वि-ाय-वस्तु, गुणवत्ता, डिजाइन और सतत् मूल्यांकन का प्रबंध करना ;

(vii) रा-ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर नीति अभिमुखी अनुसंधान और कौशल विकास के माध्यम से रक्षा युद्ध नीति, रक्षा प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रबंध के क्षेत्र में नए ज्ञान के सृजन का संवर्धन करना और रा-ट्रीय सुरक्षा प्रणाली और रक्षा बलों में नीति निर्माताओं के फायदे के लिए इसका संचार करना ;

(viii) विभिन्न साधनों के माध्यम, जैसे संकाय और विद्वानों का आदान प्रदान, संयुक्त अनुसंधान करना तथा बृहतर मूल्य वर्धन के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का जिम्मा लेना, इत्यादि से विश्वविद्यालय के समान उद्देश्यों वाले विश्व के किसी भाग में शैक्षणिक और अनुसंधान क्षेत्रों में और विचारक मंडलों में रा-ट्रीय, प्रादेशिक और अंतररा-ट्रीय तंत्र स्थापन के माध्यम से शैक्षिक और अनुसंधान पारस्परिक क्रिया का संवर्धन करना ;

(ix) *ऐसे प्रचलित उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों का उपबंध करना, जो अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में, जिसके अंतर्गत शिक्षा के पारंपरिक*

और दूरस्थ विद्या पद्धति दोनों में रक्षा अध्ययन, रक्षा प्रबंध और रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी हैं, रक्षा सेवा अधिकारियों और अन्य कार्मिकों की चालू और आगामी आवश्यकताओं की पूर्ति करे ;

(x) *सुरक्षा और युद्धनीतिक विवाद्यक पर रा-ट्रीय और अंतरा-ट्रीय विचार गोि-ठियां, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करना ;*

(xi) *रा-ट्रीय सुरक्षा प्रणाली के विभिन्न घटकों के बीच संयुक्तता और सहक्रिया की भावना में अभिवृद्धि करना ;*

(xii) *रा-ट्रीय सुरक्षा स्थापन के पदधारियों के अतिरिक्ति रा-ट्रीय सुरक्षा विवाद्यकों की जागरूकता को प्रोन्नत करना ;*

(xiii) *सामुदायिक अध्येतावृत्ति और अंतरा-ट्रीय अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के लिए उपबंध करना ;*

(xiv) *संबंधित अध्ययनों और अनुसंधान वाले अन्य महाविद्यालयों, संस्थाओं को सम्मिलित करने, विश्वविद्यालय से संबद्ध, गठित और संस्थित महाविद्यालयों के रूप में नए महाविद्यालयों, संस्थाओं की स्थापना का उपबंध करना ;*

(xv) *समुचित डिग्रियां देने के लिए इसके स्वायत्त संबद्ध संस्थानों और महाविद्यालयों में शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मान्यता के लिए उपबंध करना ;*

(xvi) *छात्रों, विद्वानों और कर्मचारिवृंद के लिए छात्रावासों और निवासों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबंध करना ;*

(xvii) *शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पद सृजित करना, जो इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समुचित हों और उन पर नियुक्तियां करना ;*

(xviii) *विश्वविद्यालय कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिए आचार संहिता सहित सेवा की शर्तें अधिकथित करना ;*

(xix) *विश्वविद्यालय छात्रों के अनुशासन का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और विनियमन करना और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण और*

सांस्कृतिक और सामुदायिक जीवन के संवर्धन के लिए इंतजाम करना ;

(xx) *ऐसे परिनियम और अध्यादेश विरचित करना, जो विश्वविद्यालय के समुचित प्रबंध और प्रशासन के लिए आवश्यक हों और विद्यमान परिनियमों और अध्यादेशों को परिवर्तित, उपांतरित या विखंडित करना ;*

(xxi) *विश्वविद्यालय से संबंधित या उसमें निहित किसी भी संपत्ति का ऐसी रीति में संव्यवहार करना, जो विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों की अग्रगति के लिए उचित समझे ;*

(xxii) *भारत सरकार से दान, अनुदान, संदान या उपकृति प्राप्त करना तथा यथास्थिति, वसीयतकर्ताओं, संदानकर्ताओं, पूर्व छात्रों, उद्योगों और अन्य शुभचिन्तकों से जंगम या स्थावर संपत्तियों की वसीयत, संदान, अनुदान और अंतरण प्राप्त करना ;*

(xxiii) *छात्र केंद्रस्थ विद्या युद्ध नीतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षाओं में नई शैक्षिक प्रौद्योगिकी का समाकलन करना और विश्वविद्यालय के छात्रों में जीवन पर्यन्त विद्या के रुख के लिए शिक्षा देना ;*

(xxiv) *अपनी अभ्यंतर सक्षमता के क्षेत्र के साथ-साथ ज्ञान के अन्य संबंधित क्षेत्रों में मुद्रित और गैर मुद्रित ज्ञान स्रोतों का सूचना स्रोत केंद्र विकसित करना और चलाना ;*

(xxv) *ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, उच्चतर शिक्षा की संस्था को मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना ;*

(xxvi) *कक्षेतर अध्ययनों, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं को आयोजित करना और उसका जिम्मा लेना ;*

(xxvii) *ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति, जो अन्य विश्वविद्यालय में या देश के बाहर स्थित शैक्षणिक संस्थाओं सहित अन्य संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं, विनिर्दि-ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप*

में करना ;

(xxviii) *अनुसंधान और सलाहकारी सेवाओं के लिए उपबंध करना और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं, निगम, औद्योगिक, मीडिया या अन्य संगठनों से ऐसे ठहराव करना, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे ;*

(xxix) *अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, शैक्षणिक रूप से या वृत्तिक रूप से परामर्शदाओं और ऐसे संविदा पर या अन्यथा ऐसे अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अग्रगति के लिए योगदान दे सकें ;*

(xxx) *यथास्थिति, किसी घटक महाविद्यालय या संस्था या विभाग को परिनियमों के अनुसार स्वायत्त हैसियत प्रदान करना ;*

(xxxi) *ई-लर्निंग द्वारा आनलाइन पाठ्यक्रमों/शैक्षिक कार्यक्रमों का उपबंध करना ; और*

(xxxii) *ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक या आनु-ंगिक या सहायक हों ।*

विश्वविद्यालय का सभी मूलवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना ।

9. (1) विश्वविद्यालय लिंग, मूलवंश, पंथ, जाति, धर्म या वर्ग पर विचार किए बिना विश्वविद्यालय के किसी संकाय सदस्य या किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश या उससे स्नातक बनने या उसके किसी विशे-ाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने के लिए खुला होगा । परंतु, तथापि इस उपधारा की कोई बात विश्वविद्यालय को, विभिन्न वर्गों जैसे रक्षा बल कार्मिक और रा-ट्रीय सुरक्षा स्थापनों के सिविल कार्मिक के लिए प्रवेश या नियोजन के लिए विशे-ा उपबंध बनाने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

(2) विश्वविद्यालय ऐसी कोई वसीयत, संदान या संपत्ति का अंतरण स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें बोर्ड की राय में उपधारा 8(1) की भावना और उद्देश्यों के विपरीत शर्तों और बाध्यताओं की स्वीकृति अंतर्वलित हों ।

10. विश्वविद्यालय और इसके घटक और संबद्ध संस्थाओं और महाविद्यालयों में किए गए सभी शैक्षिक और अन्य शैक्षणिक क्रियाकलाप इस निमित्त विरचित किए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय के द्वारा और उसके नाम से आयोजित किए जाएंगे । विश्वविद्यालय में शैक्षणिक क्रियाकलाप ।

11. (1) भारत का रा-ट्रपति, विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा । कुलाध्यक्ष ।

(2) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने का या भवनों, प्रयोगशालाओं और उपस्कर के साथ ही इसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं, अध्यापन और अन्य कार्यों की बाबत निरीक्षण कराने का या विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त या किसी अन्य कार्य से संबंधित किसी मामले की बाबत जांच करवाने का और उस पर ऐसी रीति में, जो कुलाध्यक्ष निदेश दे, रिपोर्ट कराने का अधिकार होगा ।

(3) ऐसी किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, कुलाध्यक्ष पुनर्विलोकन या निरीक्षण या जांच के परिणाम के संबंध में प्रधान को लिखेगा और प्रधान उसे उस सलाह पर, जो कुलाध्यक्ष कार्रवाई किए जाने के लिए प्रस्थापित करे, बोर्ड के विचारों सहित विश्वविद्यालय परि-द् के समक्ष रखेगा ।

(4) विश्वविद्यालय परि-द् बोर्ड के माध्यम से कुलाध्यक्ष को ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जो उक्त पुनर्विलोकन या निरीक्षण या जांच के परिणाम पर की जानी प्रस्तावित है या की गई है, कुलाध्यक्ष को संसूचित करेगा ।

परंतु जहां कार्रवाई युक्तियुक्त समय के भीतर कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में नहीं की गई है, तब कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए स्प-टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा या सकेगी जो वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा ।

(5) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुलाध्यक्ष, लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों को नि-प्रभाव कर सकेगा, जो उसकी राय में इस अधिनियम और परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों के अनुरूप नहीं हो :

परंतु नि-प्रभाव करने का ऐसा कोई आदेश करने से पहले वह विश्वविद्यालय से यह कारण बताने की मांग करेगा कि क्यों नहीं ऐसा कोई आदेश किया जाना चाहिए और यदि युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कारण दर्शित किया जाता है, तो वह उस पर विचार करेगा ।

(6) कुलाध्यक्ष को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण ।

12. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :--

(i) विश्वविद्यालय परि-द् ;

(ii) शासक बोर्ड ;

(iii) विद्या परि-द् ; और

(iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोनित किए जाएं ।

विश्वविद्यालय परि-द् ।

13. (1) ऐसी तारीख से, जो भारत सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय परि-द् के नाम से ज्ञात एक निकाय की स्थापना की जाएगी, जो विश्वविद्यालय की शी-र्ा सलाहकारी निकाय होगी ।

(2) विश्वविद्यालय परि-द् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे,-

(क) कुलाधिपति - पदेन ;

(ख) प्रतिकुलाधिपति - पदेन ;

(ग) रा-ट्रीय सुरक्षा सलाहकार - पदेन ;

(घ) सेना, नौसेना और वायु सेना तीनों सेनाओं के चीफ या उनके प्रतिनिधि, जो तीन स्टार जनरल की पंक्ति से नीचे के न हों - पदेन ;

(ड) भारत सरकार के रक्षा, विदेश, गृह मंत्रालयों के सचिव और व्यय विभाग का सचिव या उनके प्रतिनिधि, जो अपर सचिव से नीचे की पंक्ति से नीचे के न हों - पदेन ;

(च) दि चीफ आफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू दि चेयरमेन, चीफ्स आफ स्टाफ कमेटी- पदेन ;

(छ) विश्वविद्यालय का प्रधान - पदेन ;

(ज) दि डिप्टी चीफ आफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (डाक्ट्राइन, आर्गेनाइजेशन एंड ट्रेनिंग) - पदेन ;

(झ) वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) रक्षा मंत्रालय - पदेन ;

(ञ) डिप्टी चीफ आफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, पोलिसी प्लानिंग एंड फोर्स डेवेलपमेंट, एचक्यू इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ - पदेन ; और

(ट) सशस्त्र बलों, एकेडिमियां और अन्य विविध अनुबद्ध स्ट्रीम्स से पांच विख्यात व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हों, जो रा-ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशे-न ज्ञान रखते हों, जो कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति में नामनिर्देशित किए जाएंगे, जो परिनियमों में विहित की जाए- सदस्य ।

(3) विश्वविद्यालय का उप प्रधान, विश्वविद्यालय परि-द् के अधिवेशनों में स्थायी आमंत्रित होंगे ।

(4) अध्यक्ष को ऐसे अन्य व्यक्ति को इसके अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करने की शक्ति होगी, जो विश्वविद्यालय परि-द् का सदस्य नहीं है किन्तु उप प्रधान सहित ऐसे सभी आमंत्रित मत देने के हकदार नहीं होंगे ।

(5) विश्वविद्यालय का कुल सचिव विश्वविद्यालय परि-द् के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

(6) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि उनके क्रमशः नामनिर्देशन की तारीख से तीन व-र् होगी ।

(7) इस धारा में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक सरकार अन्यथा निदेश न दे, पद छोड़ने वाला कोई सदस्य तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को नामनिर्देशित नहीं कर दिया जाता ।

(8) विश्वविद्यालय परि-द् के सदस्य, विश्वविद्यालय से ऐसे भत्ते, यदि कोई हों, के हकदार होंगे, जो परिनियमों में उपबंधित किए जाएं । किन्तु प्रधान से भिन्न कोई भी सदस्य विश्वविद्यालय परि-द् का सदस्य होने के नाते किसी भी वेतन का हकदार नहीं होगा ।

विश्वविद्यालय परि-द् की शक्तियां और कृत्य ।

14. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :--

(क) विश्वविद्यालय के लिए युद्धनीतिक लक्ष्य स्थापित करना और उनको पूरा किए जाने के लिए विश्वविद्यालय कार्यपालक प्रबंध मंडल की जवाबदेही की मांग करना ;

(ख) समय-समय पर बोर्ड की नीतियों और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के विकास के लिए उपाय

सुझाना ;

(ग) वार्-िक लेखा विवरण, जिसके अंतर्गत उसकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित तुलनपत्र भी है और शासी बोर्ड के संपरीक्षणों पर विचार करना और विश्वविद्यालय के मौद्रिक प्रबंध में सुधारों पर सुझाव देना ;

(घ) विश्वविद्यालय की समग्र गुणवत्ता और प्रभाविकता का कालिकतः पुनर्विलोकन और मूल्यांकन करना तथा कार्य नि-पादन में सुधार के लिए और विश्वविद्यालय तथा इसके पर्णधारियों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए सुझावों पर सलाह देना ;

(ड) विश्वविद्यालय के लिए विश्वसनीयता का वातावरण और संबद्धता और संपर्क का उपबंध करना ;

(च) रा-ट्रीय सुरक्षा के आंतरिक और बाह्य ऐसे क्षेत्र और विमा में, जिसमें विश्वविद्यालय को खोज करनी चाहिए, नए कटिंग ऐज क्षेत्रों की बाबत विश्वविद्यालय को सलाह देना ;

(छ) किसी ऐसे अन्य मामले में सलाह देना, जो शासक बोर्ड उसे सलाह के लिए निर्दि-ट करे और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन उसे इस अधिनियम द्वारा सौंपे जाएं ;

शासक बोर्ड ।

15. (1) विश्वविद्यालय के बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :--

(क) प्रतिकुलाधिपति, जो बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ख) दि चीफ आफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू दि चेयरमेन, चीफ्स आफ स्टाफ कमेटी- पदेन ;

(ग) प्रधान - पदेन ;

(घ) दि वाइस चीफ आफ आर्मी स्टाफ -पदेन ;

(ड) दि वाइस चीफ आफ नेवल स्टाफ -पदेन ;

(च) दि वाइस चीफ आफ एअर स्टाफ -पदेन ;

(छ) दि डिप्टी चीफ आफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (डाक्ट्राइन, आर्गेनाइजेशन एंड ट्रेनिंग) - पदेन ;

(ज) गृह मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, जो अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो - पदेन ;

(झ) रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार या उसका प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव या अपर वित्तीय सलाहकार की पंक्ति से नीचे का न हो - पदेन ;

(ञ) डिप्टी चीफ आफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (पोलिसी प्लानिंग एंड फोर्स डेवेलपमेंट) एचक्यू इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ - पदेन ;

(ट) रक्षा, शिक्षा, अनुसंधान, प्रबंध और रा-ट्रीय सुरक्षा या रक्षा विश्ले-ण के क्षेत्र में संक्रियाओं की बाबत विशे-ा ज्ञान रखने वाले तीन विख्यात विशे-ाज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा ऐसे रीति में, जो परिनियमों में विहित की जाए, नामनिर्देशित होंगे- पदेन ;

(ठ) दो घटक संस्थानों या महाविद्यालयों के प्रमुख, जो संस्था/महाविद्यालय के नाम के वर्णक्रम में प्रतिकुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित होंगे ;

(ड) दो संबद्ध संस्थाओं के प्रमुख, जो प्रतिकुलाधिपति द्वारा चक्रानुक्रम से नाम निर्देशित किए जाएंगे ;

(ढ) विश्वविद्यालय के संकाय से दो सदस्य, जो विद्या परि-ाद् द्वारा नामनिर्देशित होंगे तथा मिलिटरी और सिविलियन प्रत्येक में से एक-एक आचार्य या समतुल्य श्रेणी के होंगे ; और

(ण) विश्वविद्यालय के स्नातकों का एक प्रतिनिधि, जो प्रधान द्वारा नामनिर्देशित होगा ।

(2) उप प्रधान शासक बोर्ड के अधिवेशनों में स्थायी आमंत्रित होगा ।

(3) अध्यक्ष को, इसके अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करने की शक्ति होगी, जो शासक बोर्ड का सदस्य नहीं है किन्तु उप प्रधान सहित ऐसे सभी आमंत्रित मत देने के हकदार नहीं होंगे ।

(4) पदेन सदस्य की पदावधि उसके पद धारण करने के समय तक बनी रहेगी ।

(5) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि उनके क्रमशः नामनिर्देशन की तारीख से तीन व-र् होगी :

परंतु आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्देशित सदस्य की पदावधि उस सदस्य की शे-ा अवधि तक बनी रहेगी जिसके स्थान पर उसे नामनिर्देशित किया गया है ।

(6) विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी उपधारा (1) के खंड (ञ) और खंड (ढ) के अधीन बोर्ड का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा ।

(7) विश्वविद्यालय का कुल सचिव शासक बोर्ड का सचिव होगा ।

(8) इस धारा में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक विश्वविद्यालय परि-द् अन्यथा निदेश न दे, धारा 14(2)(ण) के अधीन पद छोड़ने वाला कोई सदस्य तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को सदस्य के रूप में नामनिर्देशित नहीं कर दिया जाता ।

(9) शासक बोर्ड के सदस्य विश्वविद्यालय से ऐसे भत्ते, यदि कोई हो, के हकदार होंगे, जो परिनियम द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

बोर्ड के कृत्य ।

16. (1) इस अधिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड विश्वविद्यालय के कार्यों के साधारण अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों में अन्यथा उपबंधित नहीं की गई विश्वविद्यालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसे विद्या परि-द् के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड-

(क) विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्यचालन से संबंधित नीति के प्रश्नों पर विनिश्चय करेगा ;

(ख) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रम संस्थित करेगा ;

(ग) अध्यादेशों पर विचार और उनको उपांतरित या रद्द करेगा ;

(घ) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और अन्य पद संस्थित करेगा और उन पर व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा और विभिन्न काडर पोजिशनों के लिए सिविलियन संकाय के लिए अर्हता और अनुभव मानक की समतुल्यता के लिए सेवा अधिकारियों हेतु उच्च शिक्षा अर्हताएं और अनुभव मानक अधिकथित करेगा ;

(ङ) परिनियम बनाएगा ;

(च) अगले वित्तीय व-र् के लिए विश्वविद्यालय की वार्-िक रिपोर्ट, वार्-िक लेखाओं और बजट प्राक्कलनों पर विचार करेगा और ऐसे संकल्प पारित करेगा, जो वह उचित समझे और उन्हें अपनी विकास योजनाओं के विवरण के साथ विश्वविद्यालय

परि-द् के समक्ष प्रस्तुत करेगा ;

(छ) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इसमें ऊपर विनिर्दि-ट रूप से उल्लिखित नहीं हैं किन्तु जो इस अधिनियम या उसके अधीन विरचित परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा इसको प्रदत्त की जाए या इस पर अधिरोपित की जाएं ।

(3) बोर्ड को, इस अधिनियम के अधीन इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और इसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसी समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी, जो यह आवश्यक समझे ।

विद्या परि-द् ।

17. (1) विद्या परि-द्, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक विनिश्चय करने वाली निकाय होगी ।

(2) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विद्या परि-द् विश्वविद्यालय के प्रधान शैक्षणिक निकाय के रूप में विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के समन्वय, नियंत्रण और साधारण अधीक्षण के लिए और विश्वविद्यालय में शिक्षण, शिक्षा और परीक्षाओं के मानक बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी ।

(3) विद्या परि-द्, सभी शैक्षणिक मामलों में बोर्ड को सलाह देगी और विभिन्न काडर पोजिशनों के लिए सिविलियन संकाय के लिए अर्हता और अनुभव मानक की समतुल्यता के लिए सेवा के अधिकारियों हेतु उच्च शिक्षा अर्हताएं और अनुभव मानक की बोर्ड को सिफारिश करेगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जो विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

(4) विद्या परि-द् में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :--

(क) प्रधान, जो विद्या परि-द् का अध्यक्ष होगा - पदेन ;

(ख) उप प्रधान - पदेन ;

(ग) प्रत्येक घटक संस्था के चार नामनिर्देशिती, जिनमें से एक विभागाध्यक्ष, एक आचार्य, एक सह-आचार्य और एक सहायक आचार्य होंगे, जो संबंधित संस्था की कार्यपालक समिति द्वारा नामनिर्देशित होंगे ;

(घ) तीन ऐसे व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हो, जो रक्षा अध्ययन या रक्षा प्रबंध या रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों से ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों में से बोर्ड की सिफारिशों पर प्रतिकुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित होंगे ;

(ङ) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं ।

(5) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति और उनकी पदावधि ऐसी होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए ।

अन्य प्राधिकरण ।

18. (1) प्राधिकरणों की संरचना, सदस्यों की पदावधि और शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं ।

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी ।

19. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे,-

(क) कुलाधिपति ;

(ख) प्रतिकुलाधिपति ;

(ग) प्रधान ;

(घ) उप प्रधान ;

(ङ) कुल सचिव ; और

(च) ऐसे अन्य अधिकारी, जिनका परिनियमों द्वारा अधिकारी होना घोनित किया जाए ।

कुलाधिपति ।

20. (1) भारत सरकार का रक्षा मंत्री विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा ।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय परि-द् का अध्यक्ष होगा और विश्वविद्यालय परि-द् के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय की डिग्रियां प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा ।

(3) कुलाधिपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम और विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा सौंपे जाएं ।

प्रतिकुलाधिपति ।

21. (1) चीफ्स आफ स्टाफ कमेटी आफ डिफेंस फोर्सेज का अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का प्रतिकुलाधिपति होगा ।

(2) प्रतिकुलाधिपति विश्वविद्यालय का अकार्यकारी प्रमुख होगा और शासक बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा तथा विश्वविद्यालय परि-द् का उपाध्यक्ष होगा ।

(3) प्रतिकुलाधिपति का यह कर्तव्य होगा कि वह शासक बोर्ड द्वारा किए गए विनिश्चयों के नि-ठापूर्वक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करे ।

(4) प्रतिकुलाधिपति, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम या विश्वविद्यालय के परिनियमों के अधीन सौंपे जाएं या शासक बोर्ड के विनिर्दि-ट संकल्प के माध्यम से उसे प्रत्यायोजित किए जाएं ।

प्रधान ।

22. (1) विश्वविद्यालय का प्रधान सशस्त्र बलों के तीन स्टार जनरल या समतुल्य की श्रेणी के सेवारत अधिकारियों में से कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(2) प्रधान, सुरक्षा बलों के कमांडर इन चीफ की हैसियत रखेगा और उसकी पदावधि न्यूनतम दो व-र् होगी, जिसे ऐसी निवृत्ति आयु के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, तीन व-र् तक बढ़ाया जा सकेगा ।

(3) प्रधान, विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा ।

(4) प्रधान, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा ।

(5) प्रधान, विश्वविद्यालय के समुचित प्रशासन के लिए और उसमें शिक्षा देने और अनुशासन बनाए रखने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम और परिनियमों, अध्यादेशों और विश्वविद्यालय के नियमों तथा विनियमों का सम्यक् रूप से पालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(6) प्रधान, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा सौंपे जाएं या जो शासक बोर्ड के विनिर्दि-ट संकल्प के माध्यम से उसे प्रत्यायोजित किए जाएं ।

उप प्रधान ।

23. (1) उप प्रधान, ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनो और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(2) उप प्रधान की पदावधि ऐसी होगी जो विश्वविद्यालय के परिनियमों में अधिकथित की जाए ।

(3) उप प्रधान ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विरचित परिनियमों और अध्यादेश द्वारा या प्रधान द्वारा सौंपे या प्रत्यायोजित किए जाएं ।

कुलसचिव।

24. (1) कुलसचिव की नियुक्ति शासक बोर्ड द्वारा सुरक्षा बलों के ब्रिगेडियर या

समतुल्य की श्रेणी के सेवारत अधिकारियों में से ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो शासक बोर्ड द्वारा विहित की जाएं, की जाएगी ।

(2) कुल सचिव विश्वविद्यालय परि-द्, शासक बोर्ड, विद्या परि-द् और ऐसी अन्य समितियों के सचिव के रूप में कार्य करेगा, जो परिनियमो द्वारा विहित की जाएं ।

(3) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्तियों का अभिरक्षक होगा, जो शासक बोर्ड उसके भारसाधन में सुपुर्द करे ।

(4) कुल सचिव अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए प्रधान के प्रति उत्तरदायी होगा/होगी ।

(5) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन विरचित परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं या जो प्रधान द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

अन्य अधिकारी ।

25. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और शक्ति तथा कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों में अधिकथित हों ।

केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

26. (1) विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए केंद्रीय सरकार, रक्षा मंत्रालय के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय व-र्ा में ऐसी धनराशि का और ऐसी रीति में, जो वह उचित समझे, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के मुख्यालय के अधीन आबंटित कोड शी-र्ा में संदाय कर सकेगी,

विश्वविद्यालय की निधि ।

27. (1) विश्वविद्यालय एक निधि रखेगी, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) ऐसे सभी धन, जो केंद्रीय सरकार द्वारा दिए जाएं ;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी फीसें और अन्य प्रभार ;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा ऋण, अनुदान, दान, संदान, उपकृति, वसीयत या अंतरण द्वारा प्राप्त सभी धन ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य रीति में या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धन ;

(2) निधि में जमा सभी धन, ऐसे बैंक में जमा किए जाएंगे, जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित

किया जाए ।

(3) विश्वविद्यालय की निधि, अनन्यतः विश्वविद्यालय के व्ययों को पूरा करने के मद्दे उपयोजित की जाएगी, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी हैं ।

विन्यास निधि की स्थापना ।

28. धारा 27 में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय बोर्ड के पूर्वानुमोदन से किसी विनिर्दि-ट प्रयोजन के लिए और विन्यास निधि में इसकी निधियों से धारा 26 में यथाविनिर्दि-ट धन अंतरित करने के लिए विन्यास निधि की स्थापना कर सकेगा ।

पृथक् निधि ।

29. जब कभी विश्वविद्यालय किसी सरकारी विभाग या किसी अनुसंधान वित्त पो-ाण अभिकरण या किसी लोक या पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर उद्योग या किसी विनिर्दि-ट शैक्षणिक कार्यकलाप, जैसे कोई अनुसंधान परियोजना या कोई परामर्शदात्री समनुदेशन या विश्वविद्यालय द्वारा नि-पादित किए जाने वाले किसी सतत शैक्षिक कार्यक्रम को प्रायोजित करने वाले किसी अन्य निकाय से कोई निधि प्राप्त होती है तो धारा 27 के उपबंधों के होते हुए भी, इस प्रकार विनिर्दि-ट प्रयोजन के लिए प्राप्त धन को एक पृथक् निधि में रखा जाएगा और उसे अनन्यतः विनिर्दि-ट समनुदेशन के प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जाएगा ।

लेखा और संपरीक्षा ।

30. (1) विश्वविद्यालय उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगी और लेखाओं का एक वार्-िक विवरण तैयार करेगी, जिसके अंतर्गत ऐसे प्ररूप में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, तुलनपत्र भी है ।

(2) विश्वविद्यालय के लेखाओं की प्रत्येक वर्-ा कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अंतराल पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा की जाएगी और कोई व्यय, जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत किए जाएं, विश्वविद्यालय द्वारा उसे संदेय होंगे ।

(3) विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशे-ाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो उसे भारत सरकार के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध मे होते हैं और उसे विशि-टतया बहियों, खातों, संबंधित वाउचरों के साथ ही ऐसे अन्य दस्तावेजों और कागजपत्रों की मांग करने का, जो वह संपरीक्षा करने के लिए सुसंगत समझे और विश्वविद्यालय के कार्यालय के निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित विश्वविद्यालय के लेखों के साथ ही उन पर

संपरीक्षा रिपोर्ट और उस पर बोर्ड की टिप्पणियों, यदि कोई हों, को वार्षिक रूप से विश्वविद्यालय परि-द् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा ।

(5) विश्वविद्यालय परि-द्, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रमाणित लेखाओं को केंद्रीय सरकार को भेजेगी और सरकार उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

31. (1) विश्वविद्यालय अपने क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे शासक बोर्ड की टिप्पणियों या संप्रेक्षणों सहित, यदि कोई हों, विश्वविद्यालय परि-द् को भेजेगा और विश्वविद्यालय परि-द् अपने वार्षिक अधिवेशन में रिपोर्ट पर विचार करेगी ।

(2) विश्वविद्यालय परि-द् वार्षिक रिपोर्ट को अपनी टिप्पणियों सहित, यदि कोई हों, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को भेजेगी ।

कर्मचारियों के लिए निवृत्ति फायदे और कल्याण स्कीमें ।

32. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसे निवृत्ति फायदा स्कीम और कल्याण स्कीम का, जो वह उचित समझे, ऐसी रीति में और ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं, गठन करेगी ।

डिग्रियां प्रदान करने की शक्ति ।

33. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1965 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय इस अधिनियम के अधीन डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी सम्मान और अभिधान प्रदान करने के लिए सशक्त होगी ।

नियुक्तियां ।

34. (1) विश्वविद्यालय और इसके घटक संस्थानों और महाविद्यालयों में कर्मचारिवृंद की सभी नियुक्तियां, जिसके अंतर्गत इसके प्रधान और उपप्रधान भी हैं, परिनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी ।

(2) विश्वविद्यालय और इसके घटक संस्थानों और महाविद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति अधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :--

(क) प्रधान की नियुक्ति के मामले में कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से प्रतिकुलाधपति ;

(ख) उप प्रधान की नियुक्ति के मामले में कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से बोर्ड ;

(ग) यदि नियुक्ति प्रधान और उप प्रधान से भिन्न सहायक आचार्य या उससे ऊपर के पद के लिए शैक्षणिक कर्मचारिवृंद पद पर की जाती है या यदि नियुक्ति किसी

काडर में गैर शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के पद पर की जाती है, जिसके लिए अधिकतम वेतनमान सहायक आचार्य के बराबर या उससे अधिक है ; तो बोर्ड और

(घ) अन्य सभी मामलों में प्रधान ।

35. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं वि-यों के लिए उपबंध किया जा सकेगा,- परिनियम ।

(i) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, शक्तियां और कृत्य ;

(ii) उक्त प्राधिकरणों के सदस्यों की रिक्तियां भरने की रीति और उन प्राधिकरणों से संबंधित अन्य सभी मामले, जिसके लिए उपबंध किया जाना आवश्यक या वांछित हो ;

(iii) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, जिसके अंतर्गत प्रधान, उपप्रधान, कुल सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी भी हैं, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोनित किए जाएं, की पदावधि नियुक्ति की पद्धति, शक्तियां और कर्तव्य ;

(iv) काडर संरचना और विश्वविद्यालय के शिक्षण और अनुसंधान संकाय और अन्य कर्मचारिवृंद की अर्हता ;

(v) वर्गीकरण, नियुक्ति की पद्धति, मिलिटरी और सिविलियन संकायों के बीच समतुल्यता, आमेलन और सेवा के निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत पेंशन, बीमा, भवि-य निधि भी हैं, सेवा समाप्ति की रीति और अध्यापन और अनुसंधान संकाय तथा विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई ;

(vi) विश्वविद्यालय के साथ कर्मचारियों के संविदा के उपबंधों से उद्भूत होने वाले विवादों के मामले में माध्यस्थम् की प्रक्रिया ;

(vii) शैक्षणिक स्वतंत्रता के सिद्धांत के अधीन संकाय के परमाधिकार सहित संकाय की वृत्तिक आचार संहिता और वृत्तिक कदाचार के लिए उस पर अनुशासनिक कार्रवाई तथा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया ;

(viii) संकाय से भिन्न कर्मचारियों के लिए आचार संहिता और कदाचार के लिए उस पर अनुशासनिक कार्रवाई, जिसके अंतर्गत सेवा समाप्त करना भी है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील की

प्रक्रिया ;

(ix) सम्मानित डिग्रियों का दिया जाना ;

(x) हरियाणा के गुडगांव जिला के बिनौला और बिलासपुर में विश्वविद्यालय मुख्यालय में और/या भारत के अन्य कैंपस बाह्य स्थानों पर अतिरिक्त घटक संस्थानों, महाविद्यालयों की स्थापना और अध्यापन विभागों का बनाया जाना, अनुसंधान के अंतर्वि-नयक केंद्र, केंद्रीय शैक्षणिक सेवा, सुविधाएं और इकाइयां, कौशल विकास केंद्र, इत्यादि ;

(xi) विद्यमान सशस्त्र बलों और परा सैनिक बल शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों या महाविद्यालयों को संबद्ध संस्थान या महाविद्यालय की हैसियत प्रदान करना ;

(xii) छात्रों, विद्वानों और स्टाफ के लिए छात्रावासों/निवासों की स्थापना और उनको चलाना ;

(xiii) बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन ;

(xiv) विश्वविद्यालय परि-द्, शासक बोर्ड, विद्या परि-द् और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के अधिवेशन, ऐसे अधिवेशनों की गणपूर्ति और उनके कारबार के संचालन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(xv) विश्वविद्यालय परि-द्, शासक बोर्ड और विश्वविद्यालय के अन्य निकायों के सदस्यों को संदत्त किया जाने वाला यात्रा और अन्य भत्ता ;

(xvi) विश्वविद्यालय के किन्हीं घटक संस्थानों और महाविद्यालयों के साथ ही अनुबद्ध संकाय में कार्य करने वाले शिक्षकों और शैक्षणिक स्टाफ की, संयुक्त परियोजनाएं करने के लिए, किसी विनिर्दि-ट अवधि के लिए नियुक्ति ;

(xvii) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा की ज्ये-ठता को शासित करने वाले सिद्धांत ;

(xviii) किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग को स्वायत्त हैसियत प्रदान करना ;

(xix) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों और संस्थाओं का प्रबंध ;

(xx) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में न्यस्त शक्तियों का

प्रत्यायोजन ;

(xxi) कोई अन्य वि-नय, जो इस अधिनियम के निबंधनानुसार परिनियमों द्वारा विहित किया जाना है ।

परिनियम कैसे बनाए जाएंगे ।

36. (1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के निगमन के पश्चात् छह मास के भीतर तथा कुलाध्यक्ष के सम्यक् अनुमोदन के पश्चात् शासक बोर्ड द्वारा बनाए जाएंगे और उसकी एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन में सूचनार्थ रखी जाएगी ।

(2) बोर्ड समय-समय पर इस धारा में इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में नए और अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या कोई परिनियम संशोधित या निरसित कर सकेगा :

परंतु तथापि, बोर्ड विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की हैसियत, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम तब तक संशोधित या निरसित नहीं करेगा जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर अपनी लिखित राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त राय पर बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से विचार नहीं कर लिया गया हो ।

(3) प्रत्येक नए परिनियम का या किसी अतिरिक्त परिनियम का या किसी परिनियम के किसी भी संशोधन या निरसन का कुलाध्यक्ष द्वारा अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या अनुमति को रोक सकेगा या उसे बोर्ड के विचारार्थ वापस भेज सकेगा ।

(4) किसी नए परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाले किसी परिनियम की वैधता तब तक नहीं होगी जब तक उस पर कुलाध्यक्ष द्वारा अनुमति न दे दी गई हो ।

(5) कुलाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् कोई नया परिनियम या संशोधित परिनियम सूचना और अभिलेख के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा ।

अध्यादेश ।

37. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के अध्यादेश में निम्नलिखित सभी या किन्हीं वि-नयों का उपबंध किया जा सकेगा,-

(i) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उनका नामांकन तथा रजिस्ट्रीकरण ;

(ii) विश्वविद्यालय के सभी प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री कार्यक्रमों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत स्वायत्त अनुबद्ध संस्थाओं और महाविद्यालयों में

किए जाने वाले कार्यक्रम भी हैं ;

(iii) विश्वविद्यालय के प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री में प्रवेश दिए जाने वालों के लिए निवास और शैक्षणिक अपेक्षाएं, जिसके अंतर्गत उनके प्रतिपाल्य के लिए स्नातक अपेक्षाएं भी हैं ;

(iv) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वजीफा, छात्र सहायता वृत्ति, पदक और पारिपोनिक संस्थित करने और देने की शर्तें ;

(v) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और पद्धति तथा कर्तव्य भी हैं ;

(vi) शिक्षण और परीक्षाओं का माध्यम ;

(vii) अध्यापन की प्रणाली तथा पाठ्यक्रमों, थीसिस और परियोजनाओं का मूल्यांकन और निर्धारण ;

(viii) विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत छात्रों को अनुपस्थिति के लिए छुट्टी प्रदान करने की शर्तें ;

(ix) विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कलैन्डर ;

(x) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आचार संहिता, जिसके अंतर्गत आचार संहिता के भंग या अतिक्रमण के लिए अनुशासनिक कार्रवाई और विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के कार्रवाई के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया भी है ;

(xi) छात्रावासों और अन्य निवासों में छात्रों और विद्वानों के निवास की शर्तें और उनमें निवास के लिए फीसों और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण ;

(xii) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रम करने के लिए तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, प्रमाणपत्रों, डिप्लोमाओं और डिग्रियों में प्रवेश से लिए उद्गृहीत की जाने वाली फीसें और अन्य प्रभार ;

(xiii) उचित और पर्याप्त कारणों से डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी सम्मानों को वापस लेने की शर्तें ;

(xiv) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पारितोनिक का संस्थित किया जाना और उनके दिए जाने की शर्तें ; और

(xv) कोई अन्य वि-नय, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विरचित परिनियमों द्वारा अध्यादेशों के माध्यम से उपबंधित किया जाना है या किया जाए ।

अध्यादेश किस प्रकार बनाए जा सकेंगे ।

38. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्यादेश विद्या परि-नद् द्वार बनाए जाएंगे ।

(2) विद्या परि-नद् द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जो वह निदेश करे । किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश यथाशीघ्र बोर्ड को भेजा जाएगा और उस पर बोर्ड द्वारा उसके अगले उत्तरवर्ती अधिवेशन में विचार किया जाएगा ।

(3) बोर्ड को संकल्प द्वारा किसी ऐसे अध्यादेश को प्रस्तावित रूप में अनुमोदित या उपांतरित या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसा अध्यादेश ऐसे संकल्प की तारीख से, यथास्थिति, अनुमोदित या तदनुसार, यथास्थिति, उपांतरित या रद्द हो जाएगा ।

विनियम ।

39. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण ऐसे किसी मामले के लिए, जो विनियमों के माध्यम से उपबंधित किए जाने हैं या किए जाएं, उपबंध करने के लिए इस अधिनियम और उसके अधीन विरचित किए गए परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अनुरूप और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियम बना सकेंगे । ऐसे विनियमों में उनके स्वयं के, और ऐसी स्थायी तथा तदर्थ समितियों के, जो उनके द्वारा नियुक्त की जाएं और जिनके लिए अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों में उपबंध नहीं किए गए हैं, कारबार के संचालन के लिए उपबंध किए जा सकेंगे ।

संबद्ध संस्थाएं और महाविद्यालय ।

40. (1) धारा 5 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित विश्वविद्यालय के प्रारंभ पर संबद्ध संस्थानों/महाविद्यालयों के रूप में विश्वविद्यालय के विशे-नाधिकार प्राप्त संस्थानों और महाविद्यालयों को अपने क्रमशः शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों का प्रबंध करने की पूर्ण स्वायत्ता होगी और वे डिग्रियां और डिप्लोमा देने के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की अधिकारिता के अधीन होंगे :

परंतु ऐसे संस्थान या महाविद्यालय अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों और छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के निर्धारण की पद्धति के लिए स्नातक अपेक्षाओं की बाबत विश्वविद्यालय की सहमति लेंगे । इसके अतिरिक्त उनके सिविलियन संकाय के लिए सेवा के निबंधन और शर्तों तथा भर्ती प्रक्रिया ऐसी होगी जो समय-समय पर विश्वविद्यालय के सिविलियन संकाय के लिए परिनियमों में विहित की जाए ।

(2) तथापि, ऐसे संस्थान और महाविद्यालय, जिन्हें धारा 5(3) के उपबंध के अनुसार

किसी पश्चात्वर्ती तारीख पर संबद्ध संस्थान/महाविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय के विशे-ाधिकार दिए जाते हैं, ऐसे निबंधनों और शर्तों से शासित होंगे, जो संबद्ध किए जाने के समय विश्वविद्यालय द्वारा विहित किए जाएं ।

अध्याय 3

प्रकीर्ण वि□य

रिक्तियों, आदि से कार्यो और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

41. विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय परि-नद् या शासक बोर्ड या विद्या परि-नद् या इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों के अधीन स्थापित किसी अन्य निकाय का कोई कार्य केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि -

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में त्रुटि है ; या

(ख) उसके किसी सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में त्रुटि है ; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई अनियमितता है, जिससे मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं पड़ता हो ।

विश्वविद्यालय प्राधिकरणों और निकायों के गठन के बारे में विवाद ।

42. यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया है या नहीं अथवा क्या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का सदस्य होने का हकदार है या नहीं, तो मामला विश्वविद्यालय परि-नद् को निर्दि-ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए विधिक संरक्षण ।

43. (1) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी ऐसी बात के लिए कोई वाद या विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी जो सद्भावपूर्वक की गई हैं या किया जा आशयित है, जो इस अधिनियम और उसके अधीन विरचित परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसरण में बोर्ड द्वारा सम्यक् जांच के पश्चात् विनिश्चित की जाएं :

परंतु यदि सम्यक् जांच के पश्चात् बोर्ड द्वारा यह विनिश्चित किया जाता है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कोई कार्रवाई सद्भावपूर्वक नहीं है तो निम्नलिखित के अनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी,-

(क) सशस्त्र बलों के कार्मिक के लिए, यथास्थिति, सेना अधिनियम, नौ सेना अधिनियम और वायु सेना अधिनियम ;

(ख) सिविल सरकारी कर्मचारियों के लिए सीसीएस नियम ;

(ग) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए नियम ;

(घ) परा सैनिक बलों और आसूचना सेवाओं के लिए नियम और विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित सभी अन्य सिविलियनों के लिए इस अधिनियम के उपबंध ।

(2) विश्वविद्यालय रक्षा मंत्रालय की संस्था होगी और विश्वविद्यालय की नामावली पर सशस्त्र बलों के कार्मिकों से संबंधित अनुशासनिक मामलों के प्रयोजनों के लिए सांख्यिकीय इकाई क्रम संख्या नियत की जाएगी :

परंतु शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक प्रकृति के छोटे अपराधों के लिए सशस्त्र बलों के अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों का विचारण विश्वविद्यालय में सेवारत् सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, परा सैनिक बलों और आसूचना सेवाओं से बुलाए गए सेवारत अधिकारियों को प्रत्यायोजित ऐसी अनुशासनिक शक्तियों के अनुसार स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा, जो शासक बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाए ।

परिनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना ।

44. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, जिसके अंतर्गत उसका संशोधन भी है, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निप्रभाव हो जाएगा । किन्तु परिनियम के ऐसे परिवर्तित या निप्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) परिनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत परिनियमों या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी होगी किन्तु किसी परिनियम को भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा परिनियम लागू हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

45. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न

होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा ।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ।

46. (1) आकस्मिकता की स्थिति में कार्य प्रभार पर या दैनिक मजदूरी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के सिवाय विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी सेवा की लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किए जाएंगे और संविदा के निबंधन और शर्तें इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के असंगत नहीं होगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संविदा की एक प्रति विश्वविद्यालय में रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी ।

(3) विश्वविद्यालय और उसके किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उद्भूत होने वाला कोई भी विवाद संबंधित कर्मचारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय के अनुरोध पर ऐसे माध्यस्थम् अभिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य, कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य और विश्वविद्यालय परिषद् द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे ।

(4) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामले की बाबत किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा ।

(5) माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किए जाने वाले किसी ऐसे मामले की बाबत जो उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित है, किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी ।

(6) माध्यस्थम् अधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया अपनाने और विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(7) माध्यस्थम् अधिकरण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थमों को लागू नहीं होगी ।

अपील का अधिकार ।

47. इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को विश्वविद्यालय के, यथास्थिति, किसी

अधिकारी या प्राधिकरण के विनिश्चय के विरुद्ध बोर्ड को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरि बोर्ड अपील किए गए विनिश्चय को पु-ट, उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा ।

अंतरिम उपबंध ।

48. (1) इस अधिनियम और परिनियमों में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी,-

(i) प्रथम विश्वविद्यालय परि-द् में धारा 13 की उपधारा (2) में निदि-ट विश्वविद्यालय परि-द् के पदेन सदस्य होंगे और ऐसे समय तक पदधारण करेंगे जब तक उस धारा के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय परि-द् का गठन नहीं कर दिया जाता ;

(ii) शासक बोर्ड में धारा 15 की उपधारा (1) में यथानिर्दि-ट शासक बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे और तब तक पद धारण करेंगे जब तक उस धारा के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय परि-द् का गठन नहीं कर दिया जाता ;

(2) शासक बोर्ड और विश्वविद्यालय परि-द् के पदेन सदस्य तब तक प्रथम बोर्ड का गठन करेंगे जब तक तीन मास के भीतर नामनिर्देशित सदस्यों को नामनिर्देशित नहीं कर दिया जाता ।

नियत तारीख को या उसके पश्चात् और विद्या परि-द् के गठन किए जाने तक विद्या परि-द् के कृत्यों का पालन प्रधान, जो इसका अध्यक्ष होग, द्वारा गठित अंतरिम शैक्षणिक योजना बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।

(3) अधिनियम और परिनियमों में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) प्रथम प्रधान केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों पर, जो उचित समझे जाएं, नियुक्त किया जाएगा और इतनी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दि-ट की जाए ।

(ख) प्रथम कुल सचिव की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी और वह तीन व-र् की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।